न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर / 2025 / 9862 दिनांक – 16.12.25

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 लालाराम 2 साजनराम 3 चूनाराम पिसरान गुणेशाराम 4 ताजाराम 5 देवाराम पिसरान गेनाराम 6 हरखाराम 7 रिडमलराम 8 आईदानसिंह पिसरान मोटाराम जाति जाट निवासी हिरखनोणी जाखडो की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 उदाराम पुत्र देदाराम वगैराह जाति जाट निवासी हिरखनोणी जाखडो की ढाणी (मूढों की ढाणी) तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 694 / 2025 दिनांक– 26/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हिरखनोणी जाखडो की ढाणी पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 518 / 431 रकबा 29.8253 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस / पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर / 2025 / 9863–66 दिनांक–16.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लालाराम पुत्र गुणेशाराम जाति जाट निवासी हिरखनोणी जाखडो की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण उदाराम पुत्र देदाराम वगैराह जाति जाट निवासी हिरखनोणी जाखडो की ढाणी (मूढों की ढाणी) तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.18 11:59:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर